भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4675

उत्तर देने की तारीख: 22.07.2019

केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने हेतु मापदंड

4675. श्री भागीरथ चौधरी:

श्री पंकज चौधरी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए कोई मानदंड तय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों का उन मानदंडों/आधारों जिनके आधार पर ये खोले गए हैं, सहित राज्य-वार, जिले-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश के प्रत्येक जिले में, विशेष रूप से अजमेर के केकड़ी उप-मंडल मुख्यालय, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के उन जिलों में, जहां वर्ष 2020-21 के दौरान कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं हैं, नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि के आबंटन के लिए निबंधन और शर्तों को आसान बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) केन्द्रीय विद्यालय मुख्य रूप से रक्षा और अर्ध-सैनिक बलों सहित केन्द्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को एक समान शिक्षा कार्यक्रम प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है, जब वे मंत्रालय या भारत सरकार के विभागों/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा प्रायोजित हों और एक नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु उनके द्वारा संसाधन प्रदान करने की प्रतिबद्धता और सरकार का आवश्यक अनुमोदन उपलब्ध हो। विभिन्न प्रायोजक प्राधिकारियों से प्राप्त नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी अन्य प्रस्तावों के साथ 'चुनौती पद्धति'' के तहत प्रतिस्पर्धा करनी होती है।

प्रस्तावों को निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा करना जरूरी है:

(i) प्रायोजक एजेंसी को नि:शुल्क भूमि का स्थायी स्थानांतरण/नाममात्र के किराए अर्थात 1 रूपए प्रतिवर्ष पर 99 वर्षों की लीज पर महानगरों हैदराबाद और बंगलौर में 2.50 एकड़ से 5.00 एकड़ भूमि,

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) वाले जिले/पर्वतीय क्षेत्रों/सिक्किम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और अन्य समतल स्थानों में 5 एकड़ से 10 एकड़ भूमि प्रदान करना अपेक्षित है।

(ii) प्रायोजक अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर जब तक स्थायी विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक स्कूल संचालित करने के लिए 7m x 7m के 15 कमरों वाला एक स्वतंत्र किरायामुक्त अस्थायी स्थान प्रदान करना होगा।

(iii) प्रस्तावित विद्यालय में नियुक्त कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को आवासीय स्थान प्रदान किया जाएगा।

(iv) स्टेशन पर रक्षा/केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के न्यूनतम 500 कर्मचारियों का व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से संकेंद्रण (वामपंथी उग्रवाद वाले जिलों/पर्वतीय क्षेत्रों/पूर्वोत्तर के मामले में 200)।

(v) प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय में नामांकन के लिए पूर्वोक्त वरीयता श्रेणी में न्यूनतम 200 विद्यार्थियों की उपलब्धता।

(ख) देश में विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष में खोले गए 120 केन्द्रीय विद्यालयों का राज्य- वार, जिले-वार और स्थान-वार विवरण संलग्नक पर दिया गया है।

(ग) देश के प्रत्येक जिले और उत्तर प्रदेश के ऐसे जिलों, जहां केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं वहां नया केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने संबंधी कोई निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने सूचित किया है कि राजस्थान सरकार के माध्यम से अजमेर के जिला कलेक्टर की ओर से अजमेर के केकड़ी उप मंडल में नया केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

*****

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली में संस्थाओं में
सीटों (प्रवेश) का विवरण:

संस्था	प्रवेश	प्रवेश
	18-19	**17-18**
दिल्ली विश्वविद्यालय	75618	75367
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1959	1959

जामिया मिलिया	10036	9359
आईआईटी दिल्ली	760	760
एनआईटी दिल्ली	226	200

*****